न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या– 33 / 2018

दायर दिनांक– 25.09.2018
फैसल दिनांक– 08.01.2020

श्री खुमाणसिंह पिता डूंगरसिंह जाति राजपुत निवासी बरोठी भीलान तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

– वादी–

बनाम

1. श्री चतरसिंह पिता डूंगरसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी बरोठी भीलान तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

–प्रतिवादी–

उपस्थिति वादी अधिवक्ता :–
श्री नरेन्द्र पाल अहारी (वादी)
श्री विवेक कंसारा (वादी)
श्री के.के. मेहता (प्रतिवादी)
श्री गजेन्द्र पंचाल (प्रतिवादी)

वाद बाबत् पांति बंटवाडा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. अभि. अधिनियम 1955

वादीगण के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा बरोठी भीलान पटवार मंडल बरोठी भीलान खाता संख्या नयी 23 पुरानी 29 में स्थित आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो का 1/2 – 1/2 हिस्सा खातेदार हक से संयुक्त खाते में दर्ज हो सभी उक्त वर्णित पुश्तैनी आराजीयात पर अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज हो काश्त कर उपयोग–उपभोग कर फसल उगाते आ रहे है। उक्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य माप एवं सीमाओं के आधार पर विधिक पांति बंटवाडा नही हुआ है तथा आज भी उक्त भूमि खाते में संयुक्त रूप से दोनो खातेदारों के नाम से दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी 1 मौके पर अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज हो काश्त कर फसल उगाते आ रहे है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बेईमानी आजाने से वह तथा वे अपने हिस्से से अधिक भूमि पर काबिज होना चाहता है ऐसे

श्री चतरसिंह पिता डूंगरसिंह जाति राजपुत निवासी बरोठी भीलान तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

– वादी

बनाम

1. श्री चतरसिंह पिता डूंगरसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी बरोठी भीलान तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

–प्रतिवादी–

उपस्थिति वादी अधिवक्ता :–
श्री नरेन्द्र पाल अहारी (वादी)
श्री विवेक कंसारा (वादी)
श्री के.के. मेहता (प्रतिवादी)
श्री गजेन्द्र पंचाल (प्रतिवादी)

वाद बाबत् पांति बंटवाडा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. अभि. अधिनियम 1955

वादीगण के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा बरोठी भीलान पटवार मंडल बरोठी भीलान खाता संख्या नयी 23 पुरानी 29 में स्थित आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो का 1/2 – 1/2 हिस्सा खातेदार हक से संयुक्त खाते में दर्ज हो सभी उक्त वर्णित दुस्तैनी आराजीयात पर अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज हो काश्त कर उपयोग–उपभोग कर फसल कमाते आ रहे है। उक्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य माप एवं सीमाओं के आधार पर विधिक पांति बंटवाडा नही हुआ है तथा आज भी उक्त भूमि खाते में संयुक्त रूप से दोनो पक्षकारों के नाम से दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी 1 मौके पर अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज हो काश्त कर फसल कमाते आ रहे है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बदनियती उत्पन्न हो गई तथा वो अपने हिस्से से अधिक भूमि पर काबिज होना चाहता है ऐसे उक्त कृषि भूमि को संयुक्त रूप से बनाये रखना संभवन नही है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बदनियती उत्पन्न हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 वादी के हिस्से की भूमि को जबरन हडप कर जाना चाहता है तथ इसी गरज से प्रतिवादी संख्या 1 लडाई झगडा व गाली गलोज करने पर आमादा है। इस वर्ष प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को काश्त करने से रोका तो वादी ने उसका विरोध किया तो प्रतिवादी 1 ने वादी के साथ गाली गलौच की तथा मरने मारने को उतारू हो गया। ऐसी स्थिति में वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ उक्त कृषि भूमि का संयुक्त रूप से रखे रहना संभव नही हो ने से मौके पर माप एवं सीमाओं के पांति बंटवाडा कराया जाना न्यायहित मे आवश्यक है तथा वादी एवं प्रतिवादी 1 के खाते उनके हिस्सेनुसार अलग–अलग बरफाल भी किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बदनियती उत्पन्न हो गयी है तथा उपरोक्त विर्णित भूमि व से मौके की किमती भूमि को अकेले अपने कब्जे में कर वादी को बेदखल कर देना चाहता है जिसका की उसे कोई अधिकार नही है। ऐसे में प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय की निषेधाज्ञा जारी किया जाता कि उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विधिवत माप एवं सीमाओं के आधार पर बंटवारा नही हो जाता तक उपरोक्त वर्णित अराजीयात में वादी को उपयोग उपभोग करने से नही रोके न ही किसी अन्य के हित सृजित करे न किसी को विक्रय करे न ही वादी को बेदखल करने का प्रयास करे। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य संयुक्त खाते की कृषि भूमि का कानूनन मिट्स एण्ड बाउण्डस में बंटवारा नही हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 1 अपने बाहुबल के आधार पर वादी को मौके पर स्थित किमती भूमि से बेदखल कर अकेले ही काबिज हो जाने पर आमादा है। इसलिये उक्त वर्णित भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य कानूनन् मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा कराया जा कर उसके आये हिस्से का पृथक–पृथक खाता दर्ज कर खातेदार घोषित किया जाकर इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराया जाता है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली का विवेचन किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य दस्तावेजों का विवेचन किया गया तथा वादी वकील की बहस सुनकर मनन किया गया।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है कि मौजा बरोठी भीलान पटवार मंडल बरोठी भीलान खाता संख्या नयी 23 पुरानी 29 में स्थित अराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो का 1/2 – 1/2 हिस्से का मौके पर कब्जे [illegible] हुए मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर पांति बटंवाडा प्रस्तावित किया जावे। [illegible] तहसीलदार को कोर्ट कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्तावित किया जावे। पक्षकारान के आने जाने हेतु

करने से रोका तो वादी ने उसका विरोध किया तो प्रतिवादी 1 ने वादी के साथ गाली गलोच की तथा मरने मारने को उतारू हो गया। ऐसी स्थिति में वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ उक्त कृषि भूमि का संयुक्त रूप से रखे रहना सम्भव नही हो ने से मौके पर माप एवं सीमाओं से पांति बंटवाड़ा कराया जाना न्यायहित मे आवश्यक है तथा वादी एवं प्रतिवादी 1 के खाते उनके हिस्सेनुसार अलग–अलग बरफाल भी किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बदनियती उत्पन्न हो गयी है तथा उपरोक्त विर्णित भूमि मे से मौके की किमती भूमि को अकेले अपने कब्जे में कर वादी को बेदखल कर देना चाहता है जिसका की उसे कोई अधिकार नही है। ऐसे में प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय की निषेधाज्ञा जारी किया जाता कि उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विधिवत माप एवं सीमाओं के आधार पर बंटवारा नही हो जाता तक उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादी को उपयोग उपभोग करने से नही रोके न ही किसी अन्य के हित सृजित करे न किसी को विक्रय करे न ही वादी को बेदखल करने का प्रयास करे। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य संयुक्त खाते की कृषि भूमि का कानूनन मिट्स एण्ड बाउण्डस में बंटवारा नही हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 1 अपने बाहुबल के आधार पर वादी को मौके पर स्थित किमती भूमि से बेदखल कर अकेले ही काबिज हो जाने पर आमादा है। इसलिये उक्त वर्णित भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य कानूनन् मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा कराया जा कर उसके आये हिस्से का पृथक–पृथक खाता दर्ज कर खातेदार घोषित किया जाकर इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराया जाता है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली का विवेचन किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य दस्तावेजों का विवेचन किया गया तथा वादी वकील की बहस सुनकर मनन किया गया।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है कि मौजा बरोठी भीलान पटवार मंडल बरोठी भीलान खाता संख्या नयी 23 पुरानी 29 में स्थित आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो का 1/2 – 1/2 हिस्से का मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हूए मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर पांति बटंवाडा प्रस्तावित किया जावे। बंटवाडा हेतु तहसीलदार को कोर्ट कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि दोनो पक्षकरान की उपस्थिति में बंटवाड़ा प्रस्तावित किया जावे। पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता भी प्रस्तावित बंटवाड़ा सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस दो–दो प्रतियों में पेश किये जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों को पूर्ण रूपेण पालन किया जावें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

कोस कमीश्नर वादी मौके पर अदा करें। प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण के भौतिक रूप से कब्जे अनुसार बटंवाडे में आई भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। प्रारंभिक डिक्री पर्चा अलग से जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार खेरवाडा को भेजा जावे। भौतिक रूप से विभाजन हेतु तहसीलदार खेरवाडा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कोर्ट कमिश्नर की शुल्क राशि 1000/–रू. वादी पक्ष वहन करेगा। प्रारम्भिक डिक्री अनुसार पालना रिपोर्ट दो प्रतियों में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)